

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 डुंडिया
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान जी, शाह डुंडिया जमाबन्दी खसत 2075-78 के अन्तर्गत 74, 172, 491 की खाता नम्बर तैज सिंह पुत्र कंवर भंवर सिंह, रुमन कंवर पुत्र पुजिया समदर सिंह 491 डिमांड है। जबकि खसत नुमा 2075-78 के अन्तर्गत 74, 172, 491 के खाता नम्बर तैज सिंह पुत्र कंवर भंवर सिंह, रुमन कंवर पुत्र पुजिया समदर सिंह की वजह से सुमेर सिंह है। अतः उपरोक्त खातदारों के पिता का नाम समदर सिंह की जगह सुमेर सिंह लिखा जाया उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

22/10/21

4000
22-10-21
HR

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियोग की जाती है/नहीं की जाती है।

22/10
तहसीलदार गुढा गौड़जी
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 22/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	डुंडिया	2075-78	74	तैज सिंह पुत्र समदर सिंह	तैज सिंह पुत्र सुमेर सिंह
			491	भंवर सिंह पुत्र समदर सिंह	भंवर सिंह पुत्र सुमेर सिंह
			172	रुमन कंवर पुत्र पुजिया समदर सिंह	रुमन कंवर पुत्र सुमेर सिंह

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/299-300
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 22/10/2021

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

